

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

सी०सी०८० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या-३८/२०२४
राज्य बनाम रवि ठाकुर

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई¹
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

०५/०३/०४

—:: आदेश ::—

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापाक-147/डी०सी०वी०,
दिनांक-३०.०३.२०२४ द्वारा अपराधकर्मी रवि ठाकुर, पै०-नेतलाल ठाकुर,
सा०-मुरपा, थाना-माण्डू (कुज्जू), जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड
अपराध नियंत्रण अधिनियम-२००२ की धारा-३ के तहत प्रतिदिन थाना में
हाजरी लगाने से सबधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष
रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा
लिखित अभिकथन में कहा गया है कि विपक्षी पर लगाए गए सारे आरोप
गलत, आधारहीन एवं काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी अपने परिवार
का एक मात्र कामाउ सदस्य है एवं वह असामाजिक तत्व नहीं है। विपक्षी
के विरुद्ध में काण्ड संख्या-३४८/१८ एक मात्र वाद दर्ज है उसमें विपक्षी
प्रत्येक तिथि को ससमय उपस्थित होता है। उन्होंने आगे कहा है कि
विपक्षी किसी भी Criminal Activity में शामिल नहीं है। वे किसी भी गिरोह
से संबंध नहीं रखते हैं। उन्होंने वाद को रद्द करने का अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक,
रामगढ़ के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं
अपराधिक गतिविधि पर पूर्णनियंत्रण तथा क्षेत्र में लोक-शांति बनाये रखने
हेतु विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-२००२ की
धारा-३ के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य
विचारणीय प्रश्न हैं।

- क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-२००२ की धारा-३(1) (a) के
आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
- क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-२००२ की धारा-३(1)(b)(i)
अथवा ३(1)(b)(ii) की शर्तें पूरी हो रही हैं?
- क्या विपक्षी के प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने का आदेश देने का
reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. –

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and ,

(b) (i) that his movements or acts in the district or any part
thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or
harm to persons or property; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he
is engaged or about to engage, in the district or any part
thereof, in the commission of any offence punishable under

Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

राज्य की ओर से विद्वान् सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध निम्न अपराधिक इतिहास जैसे गम्भीर काण्डों में आरेपित रहा है—

1. माण्डू (कुज्जू) थाना काण्ड संख्या-348/18, दिनांक-04.12.2018,
धारा-302/120वी/34 भांदविं एवं 27 आम्स एकट।

अभियुक्त के विरुद्ध कई सनहा दर्ज हैं :

1. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-19 / 2023, दिनांक-04.08.2023
2. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-19 / 2023, दिनांक-05.08.2023
3. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-20 / 2023, दिनांक-06.08.2023
4. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-27 / 2024, दिनांक-04.03.2024
5. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-24 / 2024, दिनांक-11.03.2024

जिसमें इनके उपर ठिकेदारों/व्यावसायियों तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों/कर्मियों को धमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित हैं कि विपक्षी अमन साव गिरोह का सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा CCA Act. 2002 के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :-

"Anti-social element" means a person who-

(i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or

(ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;

(iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or

- (iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or
- (v) who has been convicted of an offence under sections 25,26,27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में "habitual" अभिव्यक्ति की व्याख्या की है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently".

उपर उल्लेखित विषयी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते हैं। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। माण्डू (कुप्पा) थाना काण्डे संख्या-348 / 18 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके

उपर रंगदारी मांगने एवं जान मारने के नियत से गोली चलाने का गमीर आरोप है। ये वर्तमान में न्यायिक हिरासत से जमानत पर मुक्त है।

माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-19/2023, दिनांक-04.08.2023, माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-19/2023, दिनांक-05.08.2023, माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-20/2023, दिनांक-06.08.2023, माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-27/2024, दिनांक-04.03.2024, माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या-24/2024, दिनांक-11.03.2024 इत्यादि तथा अपराधी के विरुद्ध दायर माण्डू (कुज्जू) थाना काण्ड संख्या-348/18, दिनांक-04.12.2018, धारा-302/120वी/34 भांडूविं एवं 27 आमंत्र एक्ट का अवलोकन किया। विपक्षी को इन वादों में जमानत होने के कारण प्रायः सभी गवाहों का trial के समय "hostile witness" घोषित हो जाना है। कई वादों में injured-cum-eye witness तथा informant भी trial के समय hostile witness घोषित किए गये हैं।

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के प्रतिवेदन तथा थाना में काण्ड एवं दर्ज सनहा से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा संबंधित काण्ड के गवाहों को तथा वादी को डराया धमकाया जा सकता है तथा पुलिस के पास कम्पलेन करने पर अंजाम भुगतने का धमकी दिया जाता है। अतः इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता की उपरोक्त वादों के गवाह threat के कारण hostile witness हो गये हों।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के विद्वान अधिवेक्ता द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec-2(d) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है।

साथ ही स्पष्ट है कि धारा-3(1) (b) (i) के अनुरूप इनके "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property;"

साथ ही अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से "there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code." जौ 3(1) (b) (ii) की शर्तों को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास एवं विभिन्न सनहा में दर्ज तथ्य तथा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विपक्षी जब से जेल से छुटकर आया है तब से अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं टिकेदारों को रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देते रहते हैं। जिससे लोगों में भय का माहील व्याप्त है। ये विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद जाकर अपना प्रभाव क्षेत्र के ठिकेदारों/व्यावसायियों तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों/कर्मियों को लेवी के लिये भयाक्रान्त करते रहते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में इनके अपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिला बदर कर दिए जाने पर भी ये अवाञ्छित रूप से जिला में प्रवेश करेंगे तथा विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयाक्रान्त करेंगे अथवा संबंधित

वाद के गवाहो व वादी को डराएंगे-धमकाएंगे। अतः इनकी गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इन्हें प्रत्येक दिन थाना पर हाजरी उपस्थिति दर्ज कराकर निगरानी करने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियन्त्रित रहेगा तथा आम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही अपराधिक घटनाओं में भी कमी आयेगी। लोकसभा निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त युनाव सम्पन्न कराने हेतु उनकी गति विधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः विद्वान् सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधकर्मी रवि ठाकुर, पै०-नेतलाल ठाकुर, सा०-मुरपा, थाना-माण्डू (कुज्जू), जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(3)(b)(i), (ii)&(iii) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अपराधकर्मी रवि ठाकुर को अगामी 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाहन में थाना प्रभारी, माण्डू (कुज्जू) के समक्ष हाजरी लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-25 तथा भारतीय दण्ड संहिता इत्यादि की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई तथा अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ तथा थाना प्रभारी, माण्डू (कुज्जू) को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निरस्तार किया जाता है।

*Janardan
09/05/2024*

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।